(142)

संख्याः 3043/VII-II-11/128–उद्योग/2011

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु "उत्तराखण्ड माटी कला परिषद के लिए सहायता" योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 एवं आपके पत्र संख्याः 3634/उ0नि0/बजट/2011–12 दिनांक 16 नवम्बर, 2011 तथा अपर निदेशक उद्योग/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड माटी कला बोर्ड के पत्रांक 3856/उ0नि0/मा0क0बोर्ड/बजट/2011–12 दिनांक 02 दिसम्बर, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु "**उत्तराखण्ड माटी कला परिषद के लिए सहायता" योजनान्तर्गत** रू0 **75.00 लाख (रू0 पिचहत्तर लाख मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है कि स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कढाई से अनुपालन किया जायेगा। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से वित्तीय नियमों का उल्लघंन होता हो।

3– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

4– स्वीकृत धनराशि उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद् के खाते में जमा करा कर व्यय किये जाने की अनुमति इस शर्त के प्रदान की जाती है कि सामग्री के क्रय के संबंध में अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों का पालन किया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2011 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2012 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

7– धनराशि का नियमानुसार आहरण/व्यय हेतु सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

8– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–23, के मुख्य लेखाशीर्षक 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 27–माटी कला परिषद के लिए सहायता, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्याः 461/XXVII(2)/2011 दिनांक 09.12.2011 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 3043(1)/VII-II/128–उद्योग/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव नियोजन उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अनु सचिव।